

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1623

दिनांक 27/11/2021

प्रार्थीगण :-

- 1.बन्नाराम 2.धन्नाराम पि.चिमनाराम
- 3.चिमनाराम पुत्र हिमथाराम,  
जातियान जाट  
निवासी गांधी नगर, आलमसर

विप्रार्थीगण:-

- 1.टीकमाराम पुत्र हिमथाराम, जाति जाट निवासी गांधी नगर (आलमसर) 2.मीरों पत्नि तोगाराम, जाति जाट, निवासी खेड़ा (दीनगढ़) 3.खमीशा पुत्र नसीरखां, जाति मुसलमान 4.मुरादखां पुत्र तालब खां, जाति मुसलमान, निवासी आलमसर 5.धोधा 6.ऐसा पि.नसीर खां 7.फतु 8.खमीशा पि.आचार 9.भुटटा 10.समीर पि.नथु खां 11.करीम पुत्र ताजु 12.हबीब 13.वहीद 14.करीमना पि.तमीम जाति मुसलमान 15. दला पुत्र दमाराम, जाति जाट, निवासी गांधीनगर (आलमसर) 16.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 76/2020

दिनांक : 27.11.2021

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा गांधी नगर के खेत खसरा सं. 855/464 रकबा 66.00 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रु.500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1624 to 1627

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण बन्नाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण टीकमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 27/11/2021



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड चौहटन  
चौहटन